

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, भोपाल

क्रमांक/स्था./2024/ 11371

भोपाल, दिनांक - 11-11-24

विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) की भर्ती हेतु
"वॉक-इन-इन्टरव्यू" के माध्यम से की जानी वाली भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन
// संशोधित विज्ञापन //

कार्यालय सामान्य वन मण्डल भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./2024/7188 दिनांक 03.07.2024 द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-7/2018/छब्बीस-1, दिनांक 26.07.2019 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आप्र/एक, भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2022 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-06-01/2002/आप्र/एक दिनांक 21.7.2022 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-8-2/2013/आप्र/एक दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन भवन, भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों/जिलों के अंतर्गत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) हेतु चिन्हांकित मानचित्रकार के रिक्त पद की "वॉक-इन-इन्टरव्यू" के माध्यम से भर्ती अभियान के तहत पूर्ति हेतु दिनांक 07 जुलाई 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2024 नियत की गई थी। उक्त विज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार विज्ञापन पुनः जारी किया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा मानचित्रकार पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उनको पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी विचार क्षेत्र रखा जावेगा। चिन्हांकित मानचित्रकार के रिक्त पद की "वॉक-इन-इन्टरव्यू" के माध्यम से भर्ती अभियान के तहत पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन (निःशक्तजन) उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 28 नवम्बर 2024 तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पद का विवरण, शैक्षणिक योग्यताएं एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

| श्रेणी | पदनाम | वेतनमान | दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि | बहरे और कम सुनने वाले | लोकोमोटर, डिसेबिलिटी (सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ, रोग मुक्त, बोनापन, एसिटअटेक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्रफी | आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसेफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता | कुल पद |
|--------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| तृतीय | मानचित्रकार | 25300-80500 | 02 (कम दृष्टि हेतु) | 02 (कम सुनने वाले हेतु) | 01 | 03 | 08 |

शैक्षणिक योग्यता :-


| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | मानचित्रकार | (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा (ख) 10+2 पध्दति से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो (ग) जे0जे0 स्कूल ऑफ आर्ट्स मुम्बई से प्रारंभिक (एलीमेण्ट्री) ड्राइंग में इंटर-मीडिएट प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थाओं से मानचित्रकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या सर्वे आफ इंडिया हैदराबाद से फोटोग्राफी विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। मध्यप्रदेश राजपत्र 16 फरवरी 2015 संशोधन 3 नियम 10 में :- समूह तीन (ख) मानचित्रकार/सहायक मानचित्रकार हेतु-हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नक्शानवीसी (ड्रफ्ट्समैनशिप) में प्रमाण-पत्र/मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला में पत्रोपाधि/मान्यता संस्था से आर्कटिक्स या मानचित्रकार में डिप्लोमा। |
|---|-------------|---|

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें:-

- 1- आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28/11/2024 होगी। आवेदन पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन समय प्रात 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भोपाल खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, 74 बंगले भोपाल पिन - 462003 में प्राप्त किये जावेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 2- आवेदक की आयु-सीमा दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।
- 3- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4- आवेदक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 5- आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6- म0प्र0 शासन के नियम अनुसार जिनकी दो से अधिक जीवित संतान है, तथा उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 के पश्चात हुआ हो तो ये आवेदन करने की पात्र नहीं होंगे।
- 7- विज्ञापन में दर्शाये गये आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। अन्य प्रारूप में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन की शर्तें पूर्ण न करने अथवा अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- 8- आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां सत्यापित कर लगाना अनिवार्य होगा।
- 9- चयनित उम्मीदवार का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन करवाया जावेगा। अनुकूल नहीं पाये जाने पर नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।
- 10- आवेदक को उनके चयन की सूचना उनके आवेदन पत्र में दर्शाये गये वर्तमान पत्र व्यवहार के पते पर डाक द्वारा दी जावेगी।
- 11- आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार चयन हेतु गठित समिति का होगा। विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का ही मान्य होगा।
- 12- शासकीय/अर्धशासकीय संस्था/कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता को नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 13- आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर से निरस्त किया जा सकेगा।
- 14- बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया को स्थगित या निरस्त करने का अधिकार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भोपाल के पास रहेगा। चयन नियुक्ति में चयन समिति वनमण्डलाधिकारी, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
- 15- आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति, मूल निवासी, जन्मतिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग आदि) से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंकसूची/अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रति (स्वयं के द्वारा प्रमाणित संलग्न की जावे)।
- 16- केवल यूडीआइडी पोर्टल से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (डिजीटल प्रमाण-पत्र) ही मान्य किया जावेगा।
- 17- मेरिट के आधार पर वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिए आमंत्रित किया जावेगा।
- 18- मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष वेतनमान का 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेड के रूप में देय होगी।



- 19- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-7-19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 में दिये निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2.6 अनुसार शासकीय सेवाओं में जिन दिव्यांगजनों का चयन हुआ है, उनके दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जाँच नियुक्ति आदेश के बाद उनके कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से मेडीकल अनिवार्य है।
- 20- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-7-19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 में दिये निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2.7 अनुसार मूक बाधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) अनिवार्य है।
- 21- उक्त भर्तियों के सम्बंध में विस्तृत जानकारी (आवेदन-पत्र के फार्मेट सहित) विभागीय वेबसाइट mpforest.gov.in पर उपलब्ध है, अतः उक्त वेबसाइट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, भोपाल

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल भोपाल
मध्यप्रदेश

नवीनतम फोटो
हस्ताक्षर सहित

उम्मीदवार का विवरण :-

1. आवेदित पद का नाम (सुस्पष्ट अक्षरों में) :
2. आवेदक का नाम (सुस्पष्ट अक्षरों में) :
3. पिता/पति का नाम :
4. आवेदक की जन्मतिथि (अंकों में) :
- (शब्दों में) :
5. जन्म स्थान :
6. 01.01.2024 को आयु : वर्ष.....माह.....दिन.....
7. स्थाई पता :
8. वर्तमान पता :
9. शैक्षणिक योग्यता (सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करें)

| क्र. | परीक्षा का नाम | उत्तीर्ण वर्ष | बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत |
|------|----------------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

10. यदि आप शासकीय सेवक हैं तो :
- कार्यालय/विभाग का नाम :
- पदनाम :
- कार्यरत अवधि :
- नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें!
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक-----दिनांक-----
12. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं :
- अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो :
- जाति/उपजाति का नाम :
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
13. मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी :
- द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
14. विकलांगता का प्रतिशत :
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
15. विवाहित/अविवाहित :
16. विवाहित होने की दशा में :
1. विवाह का दिनांक
2. जीवित बच्चों की संख्या.....
3. अंतिम बच्चे का जन्म दिनांक.....
17. अन्य कोई अनुभव हो तो अंकित करें :
18. संलग्न दस्तावेजों का विवरण :

आवेदक के हस्ताक्षर.....
नाम.....
मोबाईल नंबर.....

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, भोपाल

घोषणा पत्र

मैं,पिता/पति श्री..... उम्र.....
.....वर्ष.....जाति.....निवासी.....
.....जिला.....

.....राज्य..... यह घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाई गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है, कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने जांच में जानकारी सही नहीं पाये जाने तथा मूल दस्तावेजों के मिलान/जांच में सही नहीं पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र पर की गई समस्त कार्यवाही बिना सुनवाई का अवसर निरस्त/समाप्त कर दी जावे, तथा मेरे अपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को भी वापस किया जावेगा।

स्थान
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर.....
नाम.....
मोबाईल नंबर.....

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, भोपाल